मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-5/2007/नियम/चार

भोपाल , दिनांक 4/4/2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

राज्य शासन के अधीन स्टेनोग्राफर / स्टेनोटाईपिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती से लागू प्रतिबंध को शिथिल करने बावत् ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक **(1)** एल-17/1/2000/ब-7/चार, दिनांक 4 जनवरी 2000, **(2)** एल-17/1/2000/ब-7/चार, दिनांक 31 मार्च 2001, **(3)** एल-17/1/2000/ब-7/चार, दिनांक 30 अक्टूबर 2001, **(4)** एल-17/1/2000/ब-7/चार, दिनांक 14 मई 2002, **(5)** एफ-11/20/2004/नियम/चार, दिनांक 11 अक्टूबर 2004, **(6)** एफ-11/20/2004/नियम/चार, दिनांक 18-5-2005 **(7)** एफ-11-5/2007/नियम/चार, दिनांक 17-12-2007 .

****

राज्य शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता की दृष्टि से वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-11-20/2004/नियम/चार, दिनांक 11-10-2004 द्वारा राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के पदों पर सभी प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है । केवल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलिपिकीय पद, राजस्व विभाग के पटवारी, पुलिस विभाग के कॉंस्टेबल एवं शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियाँ प्रतिबंध से मुक्त रखी गई हैं । मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली उच्च कार्यपालिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ सेवाओं में नियुक्तियों के मामले में संवर्ग में स्वीकृत सीधी भर्ती के पदों के 2 प्रतिशत पदों तक की पूर्ति किसी एक वर्ष में किये जाने हेतु भर्ती पर लगे प्रतिबंध को वित्त विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 18-5-2005 द्वारा आंशिक रूप से शिथिल किया गया है । वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-5/2007/नियम/चार, दिनांक 17 दिसम्बर 2007 द्वारा डाटा एन्ट्री आपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, प्रोग्रामर एवं सिस्टम एनालिस्ट के पदों के संबंध में सीधी भर्ती पर प्रभावशील प्रतिबंध सभी विभागों के लिए शिथिल किया गया है ।

2/ विगत कई वर्षो से सीधी भर्ती की नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध के कारण स्टेनोग्राफर/ स्टेनो टाईपिस्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति / मृत्यु / पदोन्नति होने के कारण इन संवर्गों में स्टाफ की अत्यधिक कमी को दृष्टिगत रखते तथा शासकीय कार्य के कुशल सम्पादन की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों में उनके सेटअप में स्वीकृत स्टेनोग्राफर/ स्टेनो टाईपिस्ट (अंग्रेजी / हिन्दी) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया जाए, ताकि शासकीय कार्य निष्पादन में सुविधा हो ।

3/ अधीनस्थ कार्यालयों के लिये स्टेनोग्राफर/ स्टेनो टाईपिस्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) के पद भरने की आवश्यकता है तो विभागों द्वारा यथा आवश्यकता विभिन्न कार्यालयों के लिये स्वीकृत पदों की सीमा तक उक्त पद भरे जाने के प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-85/2005/1/4, दिनांक 2-3-2006 द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष परीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जाकर समिति के अभिमत के पश्चात मंत्रि-परिषद आदेश प्राप्त कर इस प्रकार की नियुक्तियाँ की जा सकती हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
अजात
(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Pari/14

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-5/2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल, 2008

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

/1